न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1. रघुवीर } पि. इमरता
2. गहलोद }
3. हंसोबाई
4. पूरनबाई } पुत्रियां इमरता
5. कल्लोबाई }
6. विरमाबाई पत्नि इमरता
7. संतोदेवी पत्नि भरतू
8. रामकेश पुत्र रतन
9. रामरतन पुत्र विशन

जाति मीना निवासी भऊआपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–21.10.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 613/639 रकबा 5–00 बीघा ग्राम बहराई तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 613 रकबा 17–17 बीघा ग्राम बहराई सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरकरण संख्या 35 से किस्म बारानी–3 श्री रामरतन पुत्र विशन जाति मीना निवासी भऊआपुरा के नाम जरिए आवंटन से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 तक में रघुवीर, गहलोद पि. इमरता, हंसोबाई, पूरनबाई, कल्लोबाई पुत्रियां इमरता, विरमाबाई पत्नि इमरता, संतोदेवी पत्नि भरतू, रामकेश पुत्र रतन जाति मीना निवासी भऊआपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 613/639 रकबा 5–00 बीघा बाके ग्राम बहराई को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2025–2028, 2074–2077 नामांतरकरण संख्या 35/24.12.1973, 70/15.10.1977, 124, 202 की प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई।

जिला कलक्टर
करौली

वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि उनवानी प्रकरण में हम प्रार्थीगणों को न्यायालय द्वारा धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जो नोटिस दिए गए है वह बिल्कुल गलत व निराधार है उक्त आराजी रेफरेन्स योग्य नहीं है। विवादित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की चली आ रही है और मौके पर काबिज है। आराजी खसरा नंबर 613/639 रकबा 5 बीघा वारानी वाके ग्राम बहराई तहसील मासलपुर के अन्दर स्थित है जो प्रार्थी रामरतन पुत्र विशन जाति मीना निवासी भउआपुरा तहसील मासलपुर को जरिए नियमानुसार ऐलोटमेंट दिनांक 09.11.1970 को हुई थी उक्त आराजी पर खातेदार रामरतन इससे पूर्व से काबिज चला आ रहा है और लगातार रबी व खरीफ की फसल काश्त की है और उक्त आराजी प्रार्थी रामरतन की खातेदारी में दर्ज हो चुकी थी और खातेदारी दर्ज होने के बाद उक्त आराजी को हम अन्य प्रार्थीगण जरिए रजि0 विक्रयपत्र द्वारा खरीद कर रामरतन से कब्जा प्राप्त किया है। उक्त आराजी को हम प्रार्थीगण इमरता पुत्र रामजीलाल रामकेश पुत्र रामरतन जाति मीना निवासी भउआपुरा ने जरिये विक्रयपत्र दिनांक 06.07.1988 को 15000 रूपया नगद कीमत देकर खातेदार रामरतन से खरीदकरर कब्जा प्राप्त किया है तभी से उक्त आराजी पर प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे है तथा काबिज है। उक्त आराजी में लाखों रूपये लागत लगाकर जिस्मानी मेहनत करके काबिज काश्त बनाया है जो मौके पर काबिज है। खरीददार इमरता फौत हो चुका है। उसके मरने के बाद उक्त वारिसान रघुवीर, गहलोद, हंसोबाई, पूरनबाई, कल्लोबाई, विरमाबाई वेबा इमरता के नाम खातेदारी विरासत से खुल चुकी है और मौके पर हम काबिज काश्त है। उक्त आराजी में से हिस्सा 1/2 में से 1/6 हिस्सा जरिए रजि0 विक्रयपत्र दिनांक 26.10.2017 को खातेदारान् इमरता के वारिसान् रघुवीर, गहलोद पिसरान इमरतलाल, हंसोबाई, पूरनबाई, कल्लोबाई पुत्रीयान इमरता, बिरसाबाई बेवा इमरता जाति मीना निवासी भउआपुरा से मुझ संतोदेवी पत्नि भरतू जाति मीना निवासी भउआपुरा से मुझ सन्तोदेवी पत्नि भरतू जाति मीना निवासी भउआपुरा तहसील मासलपुर ने 70 हजार रूपयें में रजि0 विक्रयपत्र खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है और तभी से प्रार्थीया संतोदेवी खसरा नंबर 613/639 हिस्सा 1/6 पर बतौर खातेदार काश्तकार है और रबी व खरीफ की फसल काश्त करती चली आ रही है और मोके पर काबिज है उक्त आराजी रेवन्यू रिकार्ड में बारानी दर्ज है। उक्त जमीन कभी भी नाला किस्म नही रही ना ही मौके पर कोई नाला है नाही कोई पानी बहता है। उक्त जमीन को हिस्सा 1/6 को प्रार्थीया सन्तो ने लाखो रूपया लगाकर जिस्मानी मेहनत करके लाखो रूपये का खाद डालकर उपजाऊ बनाया है। प्रार्थीया को गलत नोटिस दिया गया है जो खारिज किये जाने व ड्रोप किए जाने योग्य है। प्रार्थीया को बदस्तूर खातेदार रखा जाये। उक्त आराजी में प्रार्थी रामकेश का हिस्सा है जिसको रजि0 विक्रयपत्र दिनांक 06.07.1988 को खातेदार रामरतन से खरीदकर जरिए रजि0 विक्रयपत्र कब्जा प्राप्त किया है व मौके पर काबिज है उक्त जमीन बारानी है। कभी भी कोई नाला किस्म नही रही है। नाही मौके पर कोई नाला है काबिज काश्त जमीन है मौका देखा जाये। नोटिस खारिज किया जायें। प्रार्थीगण को जो धारा 82 भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस दिए गए है वह हमारी खातेदारी की जमीन पर लागू नही होते है। यह नोटिस कानून के विपरीत है। प्रार्थीगण ने उक्त आराजी को जरिये रजि0 विक्रयपत्र खरीदकरर खातेदार से कब्जा प्राप्त कर लिया है जब तक उक्त आराजीयात खरीदशुदा विक्रयपत्र को सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही कर दिया जाये तब तक विक्रयपत्र वैद्य है ओर कानून के अनुसार है। रेवेन्यू कोर्ट को किसी प्रकार का वयनामा को खारिज करने का कोई कानूनी अधिकारी नही है यह मामला न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। सिविल कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंदर का है। न्यायालय को सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नही है। इस बिना पर आराजी खसरा नंबर 613/639 रकबा 5 बीघा की कार्यवाही रेफरेन्स बाबत निरस्त योग्य है। उक्त कार्यवाही कानून के विपरीत है। सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर का आराजीयात से

जिला कलक्टर
करौली

संबंधित रजि0 विक्रयपत्र दिनांक 06.07.1988 व 26.10.2017 को निरस्त कराने की कानूनी चाराजोही सिविल कोर्ट में करनी चाहिए उसके बाद सिविल कोर्ट के निर्णय हो जाने के पश्चात् उक्त कार्यवाही की जा सकती है अन्यथा ये कार्यवाही शुरू से ही शून्य बोइड प्रभावहीन हम प्रार्थीगण पर बेअसर है। उक्त रेफरेन्स कार्यवाही मियाद बाहर है कानून के विरूद्ध है न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है इसी स्टेज पर कार्यवाही खारिज की जाये। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 613 रकबा 17–17 बीघा गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतकरण संख्या 35 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 613/639 किस्म बारानी–3 रकबा 5–00 श्री रामरतन पुत्र विशन जाति मीना निवासी भऊआपुरा के नाम दिनांक 24.12.1973 को स्वीकार किया है। नकल जमाबन्दी सं0 2074 लगायत 2077 के अनुसार खसरा नंबर 613/639 किस्म बारानी–3 रकबा 5–00 रघुवीर, गहलोद पि. इमरता, हंसोबाई, पूरनबाई, कल्लोबाई पुत्रियां इमरता, विरमाबाई पत्नि इमरता, संतोदेवी पत्नि भरतू, रामकेश पुत्र रतन जाति मीना निवासी भऊआपुरा अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. नाला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम बहराई की आराजी खसरा नंबर 613/639 रकबा 5–00 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली